

Northern Region-1 Headquarters, Bay No. SCO - 5-10, Sector-16A, Faridabad, Haryana-121002
Phone No.0129-2666303

संदर्भ:पावरग्रिड/उ.क्षे.1/आर. टी. आई./1952/

दिनांक: 12.01.2021

सेवा में,

श्री गंगाजल पुत्र स्व० सीताराम
जाति विश्रोई, निवासी सेकेण्डरी स्कूल के पिछे
उदासर बीकानेर (मोबाईल न.9784730296)

विषय :आपके आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 02.12.2020 के संदर्भ में ।

महोदय,


आपके आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 02.12.2020 जो कि पावरग्रिड के बिकानेर कार्यालय में 14.12.2020 को प्राप्त हुआ के संदर्भ में बिंदुवार जानकारी इस प्रकार है:

1. यह है कि खेत खसरा न. 49 व 296 के हिस्सेदार जिनकी फसल क्षतिग्रस्त हुई है उनको राजस्व विभाग द्वारा स्वामित्व सत्यापन के उपांत मुआवजा निर्धारण किया गया जिसकी प्रति संलग्न है । काश्तकार द्वारा दिये गये दस्तावेज जैसे जमाबंदी एवं शपथ पत्र संलग्न है काश्तकार द्वारा जमा किये गये बैंक डिटेल एवं आधार कार्ड कि प्रति उनके निजि दस्तावेज है जो आर. टी.आई के अधिनियम 8(1) (j) के तहत नहीं दिये जा सकते ।
2. तहसील कार्यालय से स्वामित्व सत्यापन के उपांत निम्नलिखित काश्तकार को मुआवजा राशि NEFT द्वारा ऑनलाइन जमा करवाई जिसका विवरण इस प्रकार है:
 - (i) श्री भंवरलाल पुत्र मोखराम - रु. 84180/-
 - (ii) श्री रामकिशन पुत्र मोखराम - रु.70343/-
 - (iii) श्री मांगीलाल पुत्र मोखराम- रु.15687/-

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

श्री डी. के. सिंह, कार्यकारी निदेशक (उ. क्षे.1) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ. क्षे.1 मुख्यालय,
SCO बे. संख्या 5-10, सेक्टर -16A, फरीदाबाद (हरियाणा)-121002, फोन न. 0129-2666301

धन्यवाद ।

भवदीय

12/01

[आदर्श श्रीवास्तव]

वरि. महाप्रबंधक (पी. ई.एस. एम)
एवं अधिकृत सी पी आई ओ, पावरग्रिड, उ. क्षे. -1

प्रतिलिपि: NIO:महाप्रबंधक (सतर्कता), उ. क्षे.1: सूचना हेतु ।